

न्यायालय सहायक कलक्टर वाप, जिला जोधपुर
बड़जलस पीडासीन अधिकारी श्री महावीर सिंह (आर.ए.एस.)

वादी
खान खां पुत्र शेर मोहम्मद
मुसलमान निवासी नुरे की मुर्ज
विल वाप जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादी
1. तहसीलदार वाप

राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी.

क्रमांक :- 113/2018

अभिज्ञता :-
श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी वादीगण एवं अप्रार्थी
पैरोकार सरकार तहसीलदार वाप प्रार्थी एवं प्रतिवादी

दिनांक :- 13.01.2020

निर्णय

वादी के वाद का सार संक्षिप्त में निम्न प्रकार से है कि वादी की खातेदारी की खसरा 329/1 रकबा 992.04 बीघा में से 50.00 बीघा संलग्न नजरी नक्शा अनुसार भूमि सरहद नुरे की मुर्ज पटवार क्षेत्र नुरे की मुर्ज तहसील वाप में स्थित है। उक्त भूमि वक्त सेटलमेंट से पहले से ही वादी के पूर्वजों का कब्जा काश्त था। सेटलमेंट के समय वादी के मजदूरी करने हेतु बाहर गांव चले गये थे इसलिए खसरा नंबर 329/1 रकबा 992.04 में से 50.00 बीघा भूमि उनके नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं कर राजकीय भूमि दर्ज कर ई। उक्त भूमि पर वादी के पूर्वजों का कब्जा काश्त पीढ़ियों से चला आ रहा था उन्होंने जीवन काल में ही उक्त भूमि पर रहवासीय ढाणी, पानी के टांके, पशुओं के बाड़े इत्यादि थे। उक्त भूमि पर वादी का कब्जा काश्त आज दिन तक लगातार शान्तिपूर्वक चला आ है। वादी ने उक्त भूमि का संलग्न नजरी नक्शा अनुसार चारों ओर खुंटे रोप कर तारबंदी की है। वादी उक्त भूमि का संलग्न नजरी नक्शा अनुसार अपनी खातेदारी की घोषणा करवाने अधिकारी है जिसका यह वाद पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। वादी पैरोकार सरकार ने जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार तहसीलदार वाप ने उक्त वाद में प्रार्थना-पत्र आदेश 7 नियम सहपठित धारा 151 सी.पी.सी का पेश किया जो शामिल किया गया। प्रतिवादी पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में बताया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद सरकारी भूमि पर खातेदारी देने हेतु वादी का कभी भी विवादग्रस्त भूमि पर लगातार कई वर्षों तक कब्जा काश्त नहीं रहने से वादित भूमि पर वादी खातेदारी अधिकारी प्राप्त नहीं कर सकता है। उपरोक्त वाद प्रस्तुत करने पर वादी को वाद करण ही पैदा नहीं होने से तथा सरकारी भूमि की खातेदारी की घोषणा से पूर्व वादी द्वारा कभी भी 80 सीपीसी का नोटिस नहीं दिया है जिसके अभाव में वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने से इसी स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद वर्णित कथनों से तथा प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया वाद साबित नहीं होने से तथा वाद कारण पैदा नहीं होने के अभाव में तथा 80 सी.पी.सी. के नोटिस के अभाव में वादी का वाद इसी

रिज जिले जाने योग्य है। वकील वादी ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर वादीगण का उक्त वादग्रस्त भूमि पर पीछियों से पुराना कब्जा बकाशत है और वर्तमान वादग्रस्त भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में आती है इसलिए उक्त वादग्रस्त भूमि में उपनिवेशन होते हैं और उपनिवेशन नियमों तहत सरकारी भूमि पर कब्जाधारी व्यक्ति को कब्जा पर खातेदारी दिये जाने के नियम है। वादी के नाम से समय समय पर खसारा पी-14 भी तैयार की गई है। जिससे साबित होता है कि वादीगण उक्त भूमि पर वादी का वाद दस्तावेजात से साबित है। प्रतिवादी ने वादी को मौके से बेदखल रू थे इसलिए उक्त वाद आवश्यक प्रकृति का होने से 80(2) सी.पी.सी. का नोटिस प्रार्थना पत्र पेश किया था। उक्त वाद में सरकारी पैरोकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पेश उक्त वाद में लागू नहीं होता है।

पक्षकारान की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध का अवलोकन किया गया। अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी किया गया। वाद मनन अवलोकन व चिन्तन के पाया गया कि वादी द्वारा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर उसके आधार पर घोषणात्मक वाद प्रस्तुत थीं तहसीलदार बाप ने अपने प्रार्थना पत्र में बताया है कि अप्रार्थी (वादी) अतिक्रमी है अतिक्रमण के आधार पर सरकारी भूमि को हड़पना चाहता है जो कि गलत है। वाद जरिये उक्त प्रार्थना पत्र के खारिज फरमाया जावे। प्रस्तुत वाद में किसी प्रकार वाद प्राप्त हेतु कोई सारवान तथ्य व दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। इस न्यायालय के विनम्र गरी भूमि पर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा कर वादी की अधिकार प्रदान किया जाना उचित नहीं है। इस संबंध में माननीय उच्चतर तारा भी समय समय पर किये गये निर्णयों के अनुसार यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया सिर्फ एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। धारा 151 सीपीसी के तहत इस प्रकार के प्रयोग, खर्चों तथा अनेक क्रियाओं के होने वाले समय के लिये तुच्छ प्रवृत्ति के वादों को प्रारम्भिक स्तर पर ही वाद को जाना उचित है। ताकि न्यायालय का महत्वपूर्ण समय भी बचाया जा सके। उक्त वाद हेतुक ही प्रकट नहीं हुआ तथा वादी द्वारा धारा 80 सी.पी.सी. के नोटिस के था वाद के संलग्न प्रस्तुत 80 सी.पी.सी. के नोटिस की छूट का यथोचित तथा दस्तावेज के अभाव में विनाय वाद पैदा ही नहीं हुआ हो ऐसे वाद को स्वीकार नहीं कता है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी के मध्यनजर रखते हुए खारिज किया जाता है।

आदेश

का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी का वाद जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार से कम हो।

य सरे ईजलास आज दिनांक 3.01.2020 को सुनाया गया।

